

PUBLISHED IN RASHTRADOOT 24.3.2017



लघु उद्योग इकाइयों का वर्ष 2017-18 के लिये  
लौहा-इस्पात आपूर्ति हेतु पंजीयन

भारत-सरकार से आवंटित लौहा-इस्पात का निगम द्वारा स्टील ऑथोरिटी/राष्ट्रीय इस्पात निगम से उपार्जन कर राज्य के लघु उद्योग इकाइयों को उत्पादन कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाता है । इच्छुक स्थायी पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निगम में मांग पंजीयन करवा सकती है । मांग पंजीयन कराने वाली इकाइयों को मांग एवं उपलब्धता के आधार पर निगम की वितरण नीति के अनुसार लौहा-इस्पात उपलब्ध कराया जा सकेगा । विस्तृत जानकारी के लिये कृपया हमारी वेबसाइट [www.rajsico.gov.in](http://www.rajsico.gov.in) देखें अथवा सहायक महा प्रबन्धक (कच्चा माल) से फोन नम्बर 0141-5115756 पर या व्यक्तिशः सम्पर्क करें ।

प्रबन्ध निदेशक